

"और यदि तुम्हें डर हो कि अनाथ लड़कियों (से विवाह) के मामले में न्याय न कर सकोगे, तो अन्य औरतों में से जो तुम्हें पसंद हों, दो-दो, या तीन-तीन, या चार-चार से विवाह कर लो। लेकिन यदि तुम्हें डर हो कि (उनके बीच) न्याय नहीं कर सकोगे, तो एक ही से विवाह करो अथवा जो दासी तुम्हारे स्वामित्व में हो (उससे लाभ उठाओ)। यह इस बात के अधिक निकट है कि तुम अन्याय न करो।" [208] [सुरा अल-निसा : 3]

कुरआन दुनिया की एकमात्र धार्मिक किताब है, जो बताती है कि न्याय की शर्त पूरी न होने पर केवल एक पत्नी रखनी चाहिए।

“और तुम पत्नियों के बीच पूर्ण न्याय कदापि नहीं कर[83] सकते, चाहे तुम इसके कितने ही इच्छुक हो। अतः (अवांछित पत्नी से) पूरी तरह विमुख न हो जाओ कि उसे अधर में लटकी हुई छोड़ दो। और यदि तुम आपस में सामंजस्य बना लो और (अल्लाह से) डरते रहो, तो निःसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला, अत्यंत दयावान है।” [209] [सूरा अल-निसा : 129]

फिर भी शादी के लिए इस शर्त को शामिल करने के बाद औरत को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पति की एकमात्र पत्नी बनी रहे। क्योंकि यह मूल शर्त है, जिसका पालन अनिवार्य है और उसे तोड़ना जायज़ नहीं है।

ଉତ୍ତରୀୟ ଚିଠିର ଫରାସ୍ତ ହା ଚିଠିଦ୍ୱାରା

୧୧୧୧୧୧: ୧୧୧୧୧://୧୧୧-୧୧୧୧୧.୧୧୧/୧୧/୧୧/୧୧୧୧/86/

୧୧୧୧୧୧ ୧୧୧୧୧୧: ୧୧୧୧୧://୧୧୧-୧୧୧୧୧.୧୧୧/୧୧/୧୧/୧୧୧୧/86/

୧୧୧୧୧୧ 14୧୧ ୧୧ ୧୧୧୧୧୧୧୧ 2025 06:28:05 ୧୧